न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या :– 17 / 2017

बुधा सिंह बनाम गुरमेल सिंह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: आदेश ::– **दिनांक :– 29.02.2024**

वकील उभयपक्ष द्वारा बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. समाहित की जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार काकूसिंह पुत्र श्री रामचन्द्र जाति मजहबी निवासी 8 एच बड़ा संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को भारत पाक विभाजन के कारण वाके चक 8 एच बड़ा संगतपुरा खाता सं. नया 18 पुराना 99 के मुरब्बा नम्बर 3,6,65 की 23 बीघा 1 बिस्वा यानि 5.9350 है. नहरी कृषि भूमि आवंटन हुई थी जिसमें मूल रूप से आवंटी काकू सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र जाति मजहबीसिख निवासी 8 एच बड़ा संगतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर है। काकू सिंह का देहान्त होने के पूर्व ही काकू सिंह ने अपनी कृषि भूमि वाके चक 8 एच बड़ा संगतपुरा के खाता सं. नया 18 पुराना 99 के मुरब्बा नम्बर 3,6,65 की 23 बीघा 1 बिस्वा यानि 5.9350 है. नहरी की वसीयत अपने तीन पोतों बुधा सिंह, गुरजन्ट सिंह व जसविन्द्र सिंह के नाम से दिनांक 16–1–1986 को करके उपपंजीयक श्रीगंगानगर से पंजीकृत करवा दी थी। इस वसीयत को मद्देनजर रखते हुए सुरजीत कौर पत्नी काकू सिंह, जिसका नाम काकूसिंह के साथ बतौर परिवार नाम दर्ज था, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक वसीयत जिसका उल्लेख पूर्व में किया गया है 25–9–1988 को की जिसमें इस तथ्य को स्वीकार किया कि मेरे पति द्वारा जो वसीयत दिनांक 16–1–1986 को की गयी है वह सही है। इसी आधार पर सुरजीतकौर ने भी वसीयत कर दी। काकू सिंह ने जो वसीयत बुधा सिंह, गुरजन्ट सिंह व जसविन्द्र सिंह को की थी। चुंकि जसविन्द्र सिंह का देहान्त हो चुका है इसलिए वादीगण सं. 4 से 6 जसविन्द्र सिंह के वारिसान है इसलिए वादीगण उक्त वसीयत के आधार पर वाद–पत्र पेश करने के अधिकारी है। वादीगण वर्तमान में काकू सिंह द्वारा की गयी वसीयत दिनांक 16–1–1986 व सुरजीतकौर द्वारा की गयी वसीयत दिनांक 25–9–1988 के अनुसार आराजी वाके चक 8 एच बड़ा संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 3,6,65 की 23 बीघा 1 बिस्वा यानि 5.9350 है. पर लगातार काबिज चले आ रहे है। काकूसिंह की मृत्यु दिनांक 17–12–1988 व सुरजीत कौर की मृत्यु दिनांक 1–10–1989 को हो चुकी है। वादीगण काकूसिंह द्वारा की गयी वसीयत व सुरजीत कौर द्वारा की गयी वसीयत जिसका उपर वाद–पत्र में कृषि भूमि का उल्लेख किया गया है, पर साधिकार से लगातार बिना किसी अवरोध के काबिज चले आ रहे हैं। लगान आदि सिंचाई विभाग द्वारा जारी की गयी पानी की पर्ची के आधार पर अपनी कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में अभी भी कृषि भूमि काकू सिंह के नाम से है और पानी की पर्ची व गिरदावरी वगैरा काकू सिंह के नाम से चली आ रही है। वादीगण द्वारा शान्तिपूर्वक काबिज होकर कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग किया जा रहा है जबकि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादगण के क[illegible] कभी भी नहीं रही और न ही वर्तमान में इनका कब्जा है [illegible] मुख्तयारकौर का नाम दर्ज होने की वजह से प्रतिव[illegible] काकू सिंह जो मुख्य आवंटी है उसके साथ मुख्तयार [illegible] मुख्तयार कौर का देहान्त हो चुका है और प्रतिवादीगण मुख्तयार कौर के उत्तराधिकारी [illegible]र वादीगण की आराजी जो वसीयत के आधार पर उन्हे प्राप्त हुई उसके सम्बन्ध में न मानते हुए कब्जा में दखलअन्दाजी करना चाहते है। चुंकि प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया है केवलमात्र इसलिए वह कब्जा में दखलअन्दाजी करना चाह रहे हैं कि काकूसिंह के मुख्य आवंटी के परिवार में उनकी माता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

मुख्तयार कौर का नाम है इस आधार पर वादीगण को बेदखल करने व उक्त आराजी को बेचने या दीगर तरीके से मुन्तकिल करने का प्रयास कर रहे है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करने के अधिकारी है। इसके अलावा वादीगण के पास कोई विकल्प नहीं है। वादीगण के हक में की गयी वसीयत दिनांक 16–1–1986 व वसीयत दिनांक 25–9–1988 के आधार पर इस आश्य का घोषणात्मक वाद पेश करने के अधिकारी हैं कि उन्हे इस आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण शान्तिपूर्वक साधिकार वाद में वर्णित कृषि भूमि पर काबिज चले आ रहे है इसका उपयोग व उपभोग कर रहे है । परन्तु प्रतिवादीगण के मन में लालच आने के कारण धमकियां दे रहे हैं कि आराजी के कब्जा में दखलअन्दाजी करेंगे और यह भी एलानियां कहते हैं कि वे काकू सिंह व सुरजीत कौर द्वारा की गयी वसीयत को नहीं मानते। जबकि मुख्तयार कौर का नाम केवलमात्र परिवार की सदस्य होने के कारण अंकित है। इसलिए प्रतिवादीगण मुख्तयार कौर के नाम से कोई कृषि भूमि आवंटन नहीं मानी जाती है इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी कर रहे है। दिनांक 4–2–2023 को प्रतिवादीगण ने एलानियां कहा कि हम तो कब्जे में दखलअन्दाजी करेंगे। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में सफल हो गये तो इससे आयन्दा मुकदमेंबाजी बढेगी, प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी तथा वाद पेश करने का मकसद फौत हो जावेगा। ऐसी सूरत में वाद–पत्र के लम्बनकाल के दौरान अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी न्यायहित में आवश्यक है। वर्तमान जमाबन्दी में काकूसिंह, मुख्तयारकौर, मुख्तयारसिंह व सुरजीत कौर का देहान्त होचुका है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस साबित है और सुविधा का संतूलन भी प्रार्थीगण के हक में है और प्रार्थीगण को यदि अप्रार्थीगण बेदखल करने का प्रयास करते हैं तो प्रार्थीगण को नापूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना–पत्र अं. धा. 212 आर टी एक्ट मय शपथ–पत्र पेश करके निवेदन है कि वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि आराजी वाके चक 8 एच बड़ा संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं. नया 18 पुराना 99 के मुरब्बा नम्बर 3, 6, 65 की 23 बीघा 1 बिस्वा यानि 5.9350 हैं. नहरी कृषि भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी न करे तथा रहन बैय न करे एंव किसी प्रकार की कार्यवाही न करें मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखी जावे।

वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया जिमसें अंकित तथ्यानुसार चक 8 एच बड़ा संगतपुरा खाता नया 18 पुराना 99 के के मु0न0 3,6, 65 की 23 बीघा 1 बिस्वा यानि 5.935 हेक्टर नहरी भूमि जीवों के आधार पर काकु सिंह, सुरजीत कौर (पत्नी), मुख्यारकौर मुख्यार सिंह को आवंटित हुई थी काकू सिंह की मृत्यु दिनांक 17.12.1988 को हो चुकी है यह तथ्य स्वीकार नहीं है कि चक 8 एच बड़ा संगतपुरा खाता नया 18 पुराना 99 के मु0न0 3,6,65 की 23 बीघा 1 बिस्वा यानि 5.935 हेक्टर नहरी भूमि की वसीयत काकू सिंह द्वारा अपने तीन पोतों बुधा सिंह, गुरजन्ट सिंह व जसविन्द्र सिंह के पक्ष मे दिनांक 16.1. 1986 को उपपंजीयक श्रीगंगानगर से पंजीकृत करवाई हो, यह तथ्य भी स्वीकार नहीं है कि इस वसीयत को मध्यनजर रखते हुऐ सुरजीत कौर पत्नी काकू सिंह ने एक वसीयत दिनांक 25. 9.1988 को की हो, जिसमें वसीयत दिनांक 16.1.1986 का जिकर हो और इसी आधार पर सुरजीत कोर ने वसीयत की हो, सत्य कथन यह है कि उस समय भूमि जमाबंदी में गैरखातेदार कस्टोडियन विभाग दर्ज थी इस भूमि की खातेदारी सनद दिनांक 14.3.2013 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी की गई है जिसका इंतकाल स० 535 दिनांक 14.3.2013 को दर्ज किया गया है कानून गैरखातेदार भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है काकू सिंह व सुरजीत कौर को गैरखातेदार भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था इसलिए इस वसीयत से काकू सिंह व सुरजीत कौर के वारिसों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । प्रार्थनापत्र की मद स० 4 इस हद तक स्वीकार है कि जसविन्द्र सिंह [illegible] चुकी है शेष तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है वादीगण [illegible] प्रार्थनापत्र की मद स0 5 गलत होने के कारण अस्वीकार है यह तथ्य अस्वीकार है कि वादीगण चक 8 एच बड़ा संगतपुरा खाता नया 18 पुराना 99 के मु0न0 3,6,65 की 23 बीघा 1 बिस्वा यानि 5. 935 हेक्टर नहरी भूमि की वसीयत 25.9.1988 के आधार पर काबिज चले आ रहे हो काकू सिंह व सुरजीत कौर की मृत्यु होना स्वीकार है। वादीगण विवादित भूमि पर काबिज नहीं है और ना ही पानी की पर्ची इनके नाम से है विभाग में दस्तावेज काकू सिंह के नाम केवल मुखिया होने के नाते है इससे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस भूमि पर मिनअप्रार्थीगण का कब्जा न हो,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

यह तथ्य स्वीकार है कि राजस्व रिकार्ड में मिनअप्रार्थीगण की माता मुख्त्यारकोर का नाम दर्ज है तथा वैसिक रजिस्टर में मुख्त्यार कौर का नाम दर्ज है मिन अप्रार्थीगण मुख्त्यारकौर के उत्तराधिकारी है तथा जमाबंदी में मुख्त्यार कौर का हिस्सा 1484/5935 दर्ज है जिस पर अप्रार्थीगण काबिज चले आ रहे है शेष तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है चूंकि भारत पाक विभाजन के बाद जीवों के आधार पर भूमि आंवटित की गई थी जिसमें पात्रता व्यक्तिगत नहीं बल्कि परिवार की साझा पात्रता होती है भूमि का आंवटन परिवार के मुखिया के नाम से किया जाता है चूंकि पूरे परिवार के नाम आंवटन आदेश जारी किया जाना असुविधाजनक होता है अतः सुविधा के लिए भूमि का आवंटन का आदेश परिवार के मुखिया के नाम से जारी किया जाता है इसलिए भूमि आंवटी व्यक्ति की निजी अथवा स्व अर्जित सम्पत्ति न होकर परिवार की साझा सम्पत्ति होती है इसलिए आवंटी व्यक्ति को उसकी निजि व स्वअर्जित सम्पति मानकर वसीयत करने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए इस वसीयत से वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है वादीगण भूमि के खातेदार नहीं है इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हक़दार भी नहीं है। प्रार्थीगण वसीयत दिनांक 16.1.86 व 25.9.88 के आधार पर घोषणात्मक वाद लाने के अधिकारी नहीं है प्रार्थीगण द्वारा काकू सिंह की मृत्यु दिनांक 17.12.1988 के 35 वर्ष बाद प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि मियाद से बाहर है प्रार्थीगण ने इतने समय तक वसीयत को कही प्रकट नहीं किया है वसीयत संदेहस्पद है। यह तथ्य स्वीकार नहीं है कि प्रार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज चले आ रहे है यह तथ्य भी स्वीकार नहीं है कि मुख्त्यार कौर का नाम केवलमात्र परिवार के सदस्य होने के नाते दर्ज किया गया हो यह तथ्य भी अस्वीकार है कि मुख्त्यार कौर के नाम कृषि भूमि आवंटन नहीं मानी जा सकती है बल्कि मुख्त्यार कौर का नाम बेसिक रजिस्टर में दर्ज है चूंकि काकू सिंह का नाम बतौर परिवारिक मुख्य होने के कारण दर्ज किया गया है इसका यह अर्थ नहीं है सम्पूर्ण भूमि उसी को आवंटित हुई हो, उपखण्ड अधिकारी द्वारा सनद 333 दिनांक 14.3.2013 को बनाई जिसमें काकूराम, सुरजीत कौर, मुख्त्यार कौर पुत्री काकूराम, मुख्त्यार सिंह पुत्र काकूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज किया गया है वादीगण द्वारा इस सनद को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी है और ना ही सनद के आधार पर दर्ज इंतकाल को किसी न्यायालय में चुनौती दी है इसलिए प्रार्थीगण पर एस्टोपल लागु होता है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पास नहीं है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है रिकार्डर्ड काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । अतिरिक्त कथन– प्रार्थी का दावा वसीयत दिनांक 16.1.1986 व वसीयत दिनांक 25.9.1988 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है उस समय भूमि जमाबंदी में गैरखातेदार कस्टोडियन विभाग दर्ज थी इस भूमि की खातेदारी सनद दिनांक 14.3.2013 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी की गई है जिसका इंतकाल स0 535 दिनांक 14.3.2013 को दर्ज किया गया है कानून गैरखातेदार भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है इसलिए प्रार्थी का वादपत्र व प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

13. यह कि प्रार्थीगण की दोनो वसीयतें गैरखातेदार भूमि की गैरखातेदार कृषक वसीयत निष्पादित करने हेतू सक्षम नहीं है वसीयत शून्य है, काकू सिंह की दिनांक 17.12.1988 व सुरजीत कौर की दिनांक 1.10.89 को मृत्यु हो चुकी है वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय भी विवादित आराजी गैरखातेदार थी राजका०अधि० की धारा 39 के अनुसार खातेदार ही वसीयत कर सकता है इसलिए प्रार्थीगण का वादपत्र व प्रार्थनापत्र धारा 39 राज0का0 अधि0 से हिट होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । विस्थापित व्यक्ति क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास अधिनियम 1954 को निरसित करने के उपरान्त राजस्थान सरकार के राजस्व पुनर्वास द्वारा कमांकः एफ – 1 (15) राजस्व / पुनर्वास / 2005 जयपुर दिनांक 6 अक्टूबर 2009 परिपत्र जारी किया गया था जिसमें निष्कांत कस्टोडियन कृषि भूमि के निस्तारण एवं पूर्व के आवंटियो को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतू नियमो के सम्बन्ध में [illegible] निष्क्रान्त कृषि भूमि के आवंटी गैरखातेदारो की खातेदारी अधिकार प्रदत करना है, [illegible] आंवटी को प्रति स्टेण्डर्ड एकड 150रू की दर से राशि एक मुश्त अथवा 10 समान [illegible] में 7 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा कराई जावेगी तब तक आवंटी नियम 5 (5) उपबन्धो के अनुसार आवंटी भूमि को विकय, बंधकपत्र के द्वारा अथवा अन्य किसी भी तरीके से तब तक हस्तान्तरण नहीं कर सकेगा जब तक भूमि क कीमत व ऋण की राशि मय ब्याज राशि पूर्णत चुकाई नहीं जायेगी । भारत पाक विभाजन के बाद जीवो के आधार पर भूमि आंवटित की गई थी जिसमें पात्रता व्यक्तिगत नहीं बल्कि परिवार की साझा पात्रता होती है भूमि का आंवटन परिवार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:08 IST
Reason: SelfAttested

Comp.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

मुखिया के नाम से किया जाता है चूंकि पूरे परिवार के नाम आंवटन आदेश जारी किया जाना असुविधाजनक होता है। अतः सुविधा के लिए भूमि का आवंटन का आदेश परिवार के मुखिया के नाम से जारी किया जाता है इसलिए भूमि आंवटी व्यक्ति की निजी अथवा स्व अर्जित सम्पत्ति नहीं होकर परिवार की साझा सम्पत्ति होती है इसलिए आवंटी व्यक्ति को उसकी निजि व स्व अर्जित सम्पति मानकर वसीयत करने का अधिकार नहीं था। प्रार्थीगण सुरजीत कौर की वसीयत दिनांक 25.9.1988 के आधार पर आये है जबकि काकू सिंह की मृत्यु दिनांक 17.12. 1988 सुरजीत कौर की वसीयत के समय जमाबंदी में काकू सिंह का नाम था सुरजीत कौर द्वारा वसीयत बेसिक रजिस्टर में अपना नाम होने के आधार पर ही की है उसी आधार पर मुख्त्यार कौर का हिस्सा है इसलिए प्रार्थीगण पर एस्टोपल लागु होता है। भारत पाक विभाजन के बाद जीवो के आधार पर भूमि आंवटित की गई थी जिसमें पात्रता व्यक्तिगत नहीं बल्कि परिवार की साझा पात्रता होती है भूमि का आंवटन परिवार के मुखिया के नाम से किया जाता है चूंकि पूरे परिवार के नाम आंवटन आदेश जारी किया जाना असुविधाजनक होता है। अतः सुविधा के लिए भूमि का आवंटन का आदेश परिवार के मुखिया के नाम से जारी किया जाता है इसलिए भूमि आंवटी व्यक्ति की निजी अथवा स्व अर्जित सम्पत्ति नहीं होकर परिवार की साझा सम्पत्ति होती है उसी आधार पर मुख्त्यार कौर का हिस्सा है इसलिए प्रार्थीगण पर एस्टोपल लागु होता है। काकू सिंह व सुरजीत कौर अपने हिस्से तक ही वसीयत कर सकते थे सम्पूर्ण भूमि की वसीयत नहीं कर सकते थे इसलिए काकू सिंह का वसीयत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था वसीयत मिनअप्रार्थीगण के हितो पर निष्प्रभावी है। प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी के सनद 333 दिनांक 14. 3.2013 आदेश को किसी न्यायालय मे आज तक चुनौती नहीं दी इसलिए वादीगण सनद आदेश से बाध्य है तथा वादीगण पर एस्टोपल लागु होता है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज किया जावे।

वकील प्रार्थी की मुख्य बहस प्रार्थना पत्र यह रही कि काकू सिंह ने अपनी कृषि भूमि वाके चक 8 एच बड़ा संगतपुरा के खाता सं. नया 18 पुराना 99 के मुरब्बा नम्बर 3,6,65 की 23 बीघा 1 बिस्वा यानि 5.9350 है. नहरी की वसीयत अपने तीन पोतों बुधा सिंह, गुरजन्ट सिंह व जसविन्द्र सिंह के नाम से दिनांक 16–1–1986 को करके उपपंजीयक श्रीगंगानगर से पंजीकृत करवा दी थी। इस वसीयत को मद्देनजर रखते हुए सुरजीत कौर पत्नी काकू सिंह, जिसका नाम काकूसिंह के साथ बतौर परिवार नाम दर्ज था, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक वसीयत जिसका उल्लेख पूर्व में किया गया है 25–9–1988 को की जिसमें इस तथ्य को स्वीकार किया कि मेरे पति द्वारा जो वसीयत दिनांक 16–1–1986 को की गयी है वह सही है। प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया है केवलमात्र इसलिए वह कब्जा में दखलअन्दाजी करना चाह रहे हैं कि काकूसिंह के मुख्य आवंटी के परिवार में उनकी माता मुख्तयार कौर का नाम है इस आधार पर वादीगण को बेदखल करने व उक्त आराजी को बेचने या दीगर तरीके से मुन्तकिल करने का प्रयास कर रहे है।प्रतिवादीगण मुख्तयार कौर के नाम से कोई कृषि भूमि आवंटन नहीं मानी जाती है इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी कर रहे है। दिनांक 4–2–2023 को प्रतिवादीगण ने एलानियां कहा कि हम तो कब्जे में दखलअन्दाजी करेंगे। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में सफल हो गये तो इससे आयन्दा मुकदमेंबाजी बढेगी, प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी तथा वाद पेश करने का मकसद फौत हो जावेगा। अतः प्रार्थना–पत्र अं. धा. 212 आर टी एक्ट मय शपथ–पत्र पेश करके निवेदन है कि वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। बहस के समर्थन में वकील प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त [Citation : 2[illegible] UNJ (Raj.) 180 पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:08 IST
Reason: SelfAttested

जवाब बहस में वकील अप्रार्थी [illegible] सिंह ने अपनी कृषि भूमि वाके चक 8 एच बड़ा संगतपुरा [illegible] 99 के मुरब्बा नम्बर 3,6,65 की 23 बीघा 1 बिस्वा यानि 5.9350 है. नहरी की वसीयत [illegible] तीन पोतों बुधा सिंह, गुरजन्ट सिंह व जसविन्द्र सिंह के नाम से दिनांक 16–1–1986 को करके उपपंजीयक श्रीगंगानगर से पंजीकृत करवा दी थी। इस वसीयत को मद्देनजर रखते हुए सुरजीत कौर पत्नी काकू सिंह, जिसका नाम काकूसिंह के साथ बतौर परिवार नाम दर्ज था, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक वसीयत जिसका उल्लेख पूर्व में किया गया है 25–9–1988 को की जिसमें इस तथ्य

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

को स्वीकार किया कि मेरे पति द्वारा जो वसीयत दिनांक 16–1–1986 को की गयी है वह सही है। इसी आधार पर सुरजीतकौर ने भी वसीयत कर दी। सत्य कथन यह है कि उस समय भूमि जमाबंदी में गैरखातेदार कस्टोडियन विभाग दर्ज थी इस भूमि की खातेदारी सनद दिनांक 14.3.2013 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी की गई है जिसका इंतकाल स० 535 दिनांक 14.3.2013 को दर्ज किया गया है कानून गैरखातेदार भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है काकू सिंह व सुरजीत कौर को गैरखातेदार भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए इस वसीयत से काकू सिंह व सुरजीत कौर के वारिसों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस भूमि की खातेदारी सनद दिनांक 14.3.2013 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी की गई है जिसका इंतकाल स० 535 दिनांक 14.3.2013 को दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण की दोनो वसीयतें गैरखातेदार भूमि की गैरखातेदार कृषक वसीयत निष्पादित करने हेतू सक्षम नहीं है वसीयत शून्य है, काकू सिंह की दिनांक 17.12.1988 व सुरजीत कौर की दिनांक 1.10.89 को मृत्यु हो चुकी है वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय भी विवादित आराजी गैरखातेदार थी राजका०अधि० की धारा 39 के अनुसार खातेदार ही वसीयत कर सकता है। भारत पाक विभाजन के बाद जीवो के आधार पर भूमि आंवटित की गई थी जिसमें पात्रता व्यक्तिगत नहीं बल्कि परिवार की साझा पात्रता होती है भूमि का आंवटन परिवार के मुखिया के नाम से किया जाता है चूंकि पूरे परिवार के नाम आंवटन आदेश जारी किया जाना असुविधाजनक होता है। अतः सुविधा के लिए भूमि का आवंटन का आदेश परिवार के मुखिया के नाम से जारी किया जाता है इसलिए भूमि आंवटी व्यक्ति की निजी अथवा स्व अर्जित सम्पत्ति नहीं होकर परिवार की साझा सम्पत्ति होती है। उसी आधार पर मुख्त्यार कौर का हिस्सा है इसलिए प्रार्थीगण पर स्टोपल लागु होता है। काकू सिंह व सुरजीत कौर अपने हिस्से तक ही वसीयत कर सकते थे सम्पूर्ण भूमि की वसीयत नहीं कर सकते थे इसलिए काकू सिंह का वसीयत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था वसीयत मिनअप्रार्थीगण के हितो पर निष्प्रभावी है। प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी के सनद 333 दिनांक 14. 3.2013 आदेश को किसी न्यायालय मे आज तक चुनौती नहीं दी इसलिए वादीगण सनद आदेश से बाध्य है तथा वादीगण पर एस्टोपल लागु होता है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जावे।

—— :: आदेश ::——

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने काकू सिंह द्वारा की गई वसीयत दिनांक 25/09/1988 को आधार बनाकर काकू सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि को अपनी होने के कथन वर्णित किये है जबकि अप्रार्थीगण ने कथन किया है कि दिनांक 25/09/1988 को भूमि जमाबन्दी में गैर खातेदार कस्टोडियन विभाग दर्ज थी इस भूमि की खातेदारी सनद दिनांकब 14/03/2013 को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी गई है जिसका इन्तकाल संख्या 535 दिनांक 14.03.2013 को दर्ज किया गया है कानूनन गैर खातेदार भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है उक्त तथ्यो के खण्डन हेतू कोई ठोस आधार प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने काकू सिंह की मृत्यू दिनांक 17/12/1988 के 35 वर्ष बाद वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने इतने समय तक काकू सिंह की वसीयत को कहीं प्रगट नहीं किया है वसीयत सन्देहास्पद है। सुरजीत कौर द्वारा वसीयत नहीं कर अपने पति द्वारा की गई वसीयत को स्वीकार करने के कथन प्रार्थीगण ने किए है जो कि सन्देहास्पद है। उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा सनद संख्या 333 दिनांक 14.03.2013 को जारी की गई है जिसमें सुरजीत कौर, मुखत्यार कौर पुत्री काकूसिंह, मुखत्यार सिंह पुत्र काकूसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है [illegible] सनद से काकूराम, सुरजीत कौर, मुखत्यार कौर, मुखत्यार सिंह उक्त भूमि के खातेदार घोषित हुए [illegible] सूरत में प्रथम दृष्टया मामला [illegible] है। प्रार्थीगण द्वारा पानी का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध एवं अप्रार्थी[illegible] है तथा पानी की पर्ची की पर्ची के आधार पर अपनी कृषि भूमि का [illegible] किये है, पानी की पर्ची काकूसिंह के नाम से व गिरदावरी काकूसिंह के नाम से होने के कथन किये है, [illegible] सुरजीत कौर, मुख[illegible]र कौर, मुखत्यार सिंह खातेदार है राजस्व रिकार्ड में आज भी काकूसिंह, सुरजीत कौर, मुख[illegible]र कौर, मुखत्यार सिंह खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्सा के विरास्तन हकदार एवं काश्तकार है ऐसी सुरत में पानी की पर्ची को आधार नहीं बनाया जा सकता है। प्रार्थीगण की कब्जा काश्त होने के कथनो को अप्रार्थीगण ने खण्डन किया है एवं प्रार्थीगण की कब्जा काश्त नहीं मानी जा

Sanjo.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

सकती है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदारी एवं विरासतन के आधार पर समान अधिकार है इसलिए सुविधा के सन्तुलन के अहम बिन्दु को भी प्रार्थीगण के विरूद्ध एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है । राजस्व रिकार्ड में दिनांक 14.03.2013 को जारी की गई खातेदारी के नामान्तरण संख्या 535 के बाद काकूसिंह, सुरजीत कौर, मुखत्यार कौर, मुखत्यार सिंह खातेदार है। काकूसिंह की दिनांक 17/12/1988 को सुरजीत कौर की दिनांक 01/10/1989 को मुखत्यार कौर व मुखत्यार सिंह की भी मृत्यू हो चुकी है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं हैं अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश जारी कर बाध्य करने से कृषि भूमि के उपयोग, उपभोग व काश्त में बाधा पैदा होगी व खातेदारी अधिकार प्रभावित होने से अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner